न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, (फा0ट्रै0) नगर

पीठासीन अधिकारी :— राजवीरसिंह यादव, आर0ए0एस0

मुकद्मा नम्बर :— 639 / 2013

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. रामहंस
2. रमेश | पिस0 हरीसिंह कौम गूजर निवासी ग्राम डाबक तह0 नगर
3. बिजेन्द्रसिंह

वादीगण

बनाम

1. जिला कलक्टर भरतपुर
2. तहसीलदार, तहसील नगर

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88—89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित —

1. श्री प्रतापसिंह, अधिवक्ता वादीगण
2. पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक

वादीगण ने यह दावा इस आश्य का संस्थित किया है कि वि0आ0ख0नं0 181 / 0.51, 184 / 0.74, 435 / 0.38 बाके ग्राम डाबक साबिक ख0नं0 207 रकबा 3 बीघा 19 विस्वा, 212 रकबा 3 बीघा 11 विस्वा, 462 रकबा 2 बीघा 8 विस्वा से कायम हुए जिस पर वादीगण के पिता सम्वत् 2010 से पूर्व से ही गैर मौरूसी दर्ज चला आ रहा है जो राज0 काश्तकारी अधि0 1955 के मुताबिक खातेदार दर्ज हो जाना चाहिए था । वि0आ0 हिन्दू मिल्कियत की आराजी हे कस्टोडियन नही है । वादीगण का वि0आ0 के 1 / 2 हिस्सा पर बहिस्सा बराबर कब्जा काश्त है । विदि वजह वादीगण अपने आपको 1 / 2 हिस्सा पर खातेदार काश्तकार दर्ज कराने के अधिकारी हैं । विनाय मुखासमत नकल जमाबंदी लेने पर इस गलत इन्द्राज का इल्म होने से पैदा हुई है । अंत में निवेदन किया है कि दावा वादीगण डिक्री फरमाया जाकर हाल आ0ख0नं0 181 / 0.51, 184 / 0.76, 435 / 0.38 बाके ग्राम डाबक तहसील नगर पर

वादीगण को बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा वर्तमान इन्द्राज गैर खातेदारी कलमजन किये जावें ।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया । प्रतिवादीगण ने न्यायालय में उपस्थित होकर जबरन दावा इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादीगण द्वारा राज्य सरकार के विरूद्ध दावा प्रस्तुत करने से पूर्व दो माह का धारा 80 सीपीसी का नोटिस नही दिया है जिससे दावा काबिल खारिज है । वादीगण के पिता हरीसिंह पुत्र ग्यासी कौम गूजर निवासी डाबक तह0 नगर जो बन्दोवस्त से पूर्व गैर मौरूसी के रूप में दर्ज रिकार्ड रहे हैं जिन्हें अपनी खातेदारी अधिकार हेतु बन्दोवस्त से पूर्व ही नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए था । वादीगण द्वारा माननीय न्यायालय के यहॉ दावा अवधि पर पेश किया है जो चलने योग्य नही है । अन्त में निवेदन किया है कि दावा वादीगण खारिज फरमाया जावे ।

दावा एवं जबाव दावा के आधार पर निम्न तनकी कायम की गयी –

1. आया वादी0 वि0आ0ख0नं0 181/0.51, 184/0.76, 435/0.38 बाके ग्राम डाबक के 1/2 हिस्सा पर गैरखातेदार के स्थान पर खातेदार घोषित करा पाने के अधिकारी हैं ? –– जिम्मेवादी
2. आया वादी0 ने दावा दायरी से पूर्व धारा 80 सीपीसी का नोटिस नही दिया है जिससे दावा काबिल खारिज है ? –– जिम्मे प्रति0
3. आया वि0आ0 पर वादी0 के पिता भू प्रबंध से पूर्व से ही गैर मौरूसी दर्ज थे, खातेदारी हेतु पूर्व में ही आवेदन करना चाहिए था, दावा म्याद बाहर होने से काबिल खारिज है ? –– जिम्मे प्रति0
4. दादरसी ?

वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में नकल जमाबंदी सं0 2064–67 प्रदर्श पी–1, नकल खसरा पत्रक प्रदर्श पी–2, नकल जमाबंदी ढालबांछ सं0 2005 प्रदर्श पी–3, नकल जमाबंदी सं0 2010–13 प्रदर्श पी–4, नकल जमाबंदी सं0 2018–21 प्रदर्श पी–5, नकल जमाबंदी सं0 2026–29 प्रदर्श पी–6 नकल खसरा गिरदावरी सं0 2011–14 प्रदर्श पी–7, नकल खसरा गिरदावरी सं0 2015–18 प्रदर्श–8, नकल खसरा गिरदावरी सं0 2019–22 प्रदर्श पी–9, नकल खसरा गिरदावरी सं0 2023–26 प्रदर्श पी–10, नकल खसरा गिरदावरी सं0 2027–30 प्रदर्श पी–11 दस्तावेजात प्रस्तुत किये हैं तथा मौखिक साक्ष्य में वादी रामहंस पी0डब्ल्यू0–1, गवाह कमल पी0डब्ल्यू0–2, रघुवरसिंह पी0डब्ल्यू0–3 के शपथ पत्र प्रस्तुत किये हैं ।

हमने उभय पक्ष की वहस सुनी तथा पत्रावली का आद्योपांत ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। नकल जामबंदी सं0 2064–67 प्रदर्श पी–1 बाके ग्राम डाबक के खाता संख्या 658 पर आ0ख0नं0

181/0.51, 184/0.76, 435/0.38 की बाबत् – ''रामहंस, रमेश, बिजेन्द्रसिंह पिस0 हरीसिंह समभाग रहिन पी0एन0बी0 शाखा कैथवाडा मुर्त 1/2 हि0 रतन पुत्र ग्यासी 1/2 हि0 जाति गूजर सा0देह गैरखातेदार रहिन एस0बी0आई0 शाखा डीग मुर्त'' दर्ज है तथा शुद्धि पत्र संख्या 1810 दिनांक 09.03.2012 से रतन पुत्र ग्यासी 1/2 हि0 कौम गूजर सा0देह गैर खातेदार के स्थान पर खातेदार स्वीकार हुआ शेष 1/2 बदस्तूर'' का नोट लाल स्याही से अंकित है । नकल खसरा पत्रक भू प्रबंध विभाग प्रदर्श–3 के अनुसार हाल ख0नं0 181/0.51, 184/0.76, 435/0.35 क्रमशः साबिक ख0नं0 212 रकबा 3 बीघा 1 विस्वा, 207 रकबा 3 बीघा 19 विस्वा एवं 462 रकबा 2 बीघा 8 विस्वा से बनाये जाना साबित होते हैं तथा नाम कृषक गत व हाल के कॉलम नम्बर 23, 24 में ''हरीसिंह वल्द ग्यासी कौम गूजर सा0देह गैरखातेदार साल 20 '' दर्ज है। नकल जमाबंदी ढाल बांछ मौजा डाबक सम्वत् 2005 प्रदर्श–2 के अनुसार साबिक ख0नं0 207 रकबा 3 बीघा 19 विस्वा, 212 रकबा 3 बीघा 01 विस्वा 462 रकबा 2 बीघा 8 विस्वा पर ग्यासी गैर मौरूसी दर्ज होना पाया जाता है । नकल जमाबंदी सं0 2018 प्रदर्श–5 में उक्त साविक ख0नं0 462, 207, 212 की बावत् ''हरिसिंह वल्द ग्यासी कौम गूजर सा0देह गैर खातेदार साल 12 '' दर्ज है तथा इसी प्रकार के इन्द्राज जमाबंदी सं0 2026 प्रदर्श–6 में दर्ज हैं । इस प्रकार उक्त समस्त विवेचन से वि0आ0 हिन्दू मिल्कियत की भूमि तथा वादी0 के पूर्वजों की गैर मौरूसी की आराजी होना साबित होती है जिस पर वादीगण को राज0काश्तकारी अधि0 की धारा 15 के अनुसार ही खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत हो जाते हैं । इस प्रकार वादीगण का दावा डिक्री किये जाने योग्य पाया जाता है । अतः आदेश है कि –

दावा वादीगण डिक्री किया जाता है । आराजी ख0नं0 181/0.51, 184/0.76, 435/0.38 बाके ग्राम डाबक तहसील नगर पर वादीगण को 1/2 हिस्से पर गैरखातेदार के स्थान पर खातेदार घोषित किया जाता है । इसी प्रकार पर्चा डिक्री जारी हो ।

(राजवीरसिंह यादव)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फा0ट्रै0) नगर

निर्णय आज दिनांक ..... को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राजवीरसिंह यादव)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फा0ट्रै0) नगर